राजकीय बहुतकनीकी संस्थान काँगड़ा जिला काँगड़ा (हि.प्र) के छात्र कल्याण निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2020 से 03/2024

भाग-एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से वर्णित है। अत: अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाये।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 3/2005 :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा -4	अनिर्णीत	
2.	पैरा -11(क)	अनिर्णीत	
3.	पैरा- 11(ख)	अनिर्णीत	

(ख)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 3/2009 :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा -5 घ	अनिर्णीत	
2.	पैरा -6	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 3/2011 :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा -4	अनिर्णीत	
2.	पैरा -9	अनिर्णीत	

(घ)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 3/2012 :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा -4(घ)	अनिर्णीत	
2.	पैरा -7(क)	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार

(ड.)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 3/2013 :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा -4(ग)	अनिर्णीत	
2.	पैरा -6	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
3.	पैरा-7	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
4.	पैरा-9	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार

(च)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 3/2016 :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा -6	अनिर्णीत	

2.	पैरा -7	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
3.	पैरा-8	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
4.	पैरा-13	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
5.	पैरा-14	निर्णीत	अभिलेख की पड़ताल उपरांत पैरे का समयोजन किया गया है |

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2016 से 3/2020 :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा -3	निर्णीत	मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 166 में पुष्टि उपरान्त
2.	पैरा -4	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
3.	पैरा-5	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
4.	पैरा-6	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या

			Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
5.	पैरा-7	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
6.	पैरा-8	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
7.	पैरा-9	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
8.	पैरा-10	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
9.	पैरा-11	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
10.	पैरा-12	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
11.	पैरा-13	अनिर्णीत	
12.	पैरा-14	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार

13.	पैरा-15	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
14.	पैरा-16	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
15.	पैरा-17	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
16.	पैरा-18	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
17.	पैरा-19	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
18.	पैरा-20 (क,ख)	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार
19.	पैरा-20 (ग)	निर्णीत	अभिलेख की पड़ताल उपरांत पैरे का समयोजन किया गया है |
20.	पैरा-21	निर्णीत	कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(11)(ii)11(2)254/75Vol-6-1102 Dated 01.03.2024 के अनुसार

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान काँगड़ा के अवधि 4/20 से 03/24 के छात्र कल्याण निधि लेखों का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुछेदों में दिए गए है, श्रीमति विराज उप नियंत्रक व श्री अजय कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक **25.11.2024 से 10.12.2024** तक कार्यालय परिसर में किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य ने आहरण एवं वितरण अधिकारियों के रूप में कार्य किया।

क्रम सं०	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1.	श्री अनिल सूद	01.04.2020 से 30.11.2020
2.	श्री राजिंदर सिंह बरवाल	01.12.2020 से 07.02.2021
3.	श्री संजीव कुमार गौतम	08.02.2021 से 17.07.2022
4.	श्री नरेश सपहिया	18.07.2022 से 15.08.2022
5.	श्री अश्वनी कुमार	16.08.2022 से 31.03.2024

वर्तमान अंकेक्षण में आय व व्यय की विस्तृत पड़ताल हेतु निम्नलिखित माह का चयन किया गया।

वितीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आय	10/20	03/22	09/22	08/23
व्यय	07/20	07/21	03/23	10/23

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य/नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार कि गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवार नही है।

3 अंकेक्षण शुल्क

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान काँगड़ा के अवधि **4/20 से 3/24** के छात्र कल्याण निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹25200/-** बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट/क्रॉस चैक के माध्यम से निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को भेजने हेतु संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221 दिनांक **10.12.2024** द्वारा अनुरोध किया गया व उनके द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट सं 029782 दिनांक **11-12-2024** द्वारा निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-09 को प्रेषित कर दिया गया है |

4. वितीय स्थिति:-

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान राजकीय बहुतकनीकी संस्थान काँगड़ा के छात्र कल्याण निधि की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से रही, विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	FDR'S ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2020-21	81151839	5376555	222624	5505606	92256624	8734477	83522147
2021-22	83522147	10651421	62910	4434635	98671113	14581936	84089177
2022-23	84089177	7817626	96110	4277409	96280322	8282511	87997812
2023-24	87997812	8533371	100276	4084700	100716159	12135645	88580514

अन्त शेष का विवरण इस प्रकार है :-

(i)दिनांक 31-3-24 को पी.एन.बी. बचत खाता संख्या 12342011002594 में जमा राशि	433998.8
(ii)दिनांक 31-3-24 को एस.बी.आई बचत खाता संख्या. 65075086353 में जमा राशि	5039997.6

(iii) दिनांक 31-3-24 को एस.बी.आई बचत खाता संख्या 65201885049 में जमा राशि	3509
(iv)दिनांक 31-03-24 को सावधि जमा में निवेशित राशि	83103009
कुल जोड़	**88580514.4**

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31.03.24 को वितीय स्थिति अनुसार अंतिम शेष	**88580514.4**
(ख) दिनांक 31.03.24 को बैंक अनुसार अंतिम शेष	**88580514.4**
अंतर	**0.00**

5 (i)राजकीय बहुतकनीकी संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि के एकत्रीकरण के लिए बचत खाते के स्थान पर चालू खाता खोलने के कारण ब्याज के रूप में हुई संभावित हानि के संदर्भ में :-

अंकेक्षण के दौरान राजकीय बहुतकनीकी संस्थान द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत बैंक खातों के अवलोकन / अंकेक्षण में पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि के एकत्रीकरण के लिए खाता संख्या 65201885049 को बचत खाते के स्थान पर चालू खाते के रूप में खोला गया है, जिसके कारण संस्थान को ब्याज की हानि हो रही है. क्योंकि बैंक द्वारा चालू खातों पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है।

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: ब्याज के रूप में हो रही हानि का या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार आपेक्षित करवाई करते हुए इसे बचत खाते में बदलना सुनिश्चित किया जाए

ताकि ब्याज के रूप में हो रही हानि को रोका जा सके, इस सन्दर्भ में की गई करवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 **(ii) बैंक चार्जिज के रूप में काटी गई राशि ₹1121/- की प्रतिपूर्ति न करने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान संस्थान की रोकड़ बही की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि दौरान बैंक द्वारा चयनित माह में बैंक चार्जिज के रूप में राशि ₹1121 की कटौती की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	बैंक चार्जिस के रूप में काटी गई राशि (₹)
1	01.07.2021	191	590
2	14.07.2022	52	59
3	10.03.2023	130	118
4	14.03.2023	131	59
5	16.03.2023	131	59
6	27.03.2023	135	59
7	21.10.2023	40	59
8	26.10.2023	42	59
9	30.10.2023	43	59
कुल योग			**1121/-**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 के माध्यम से यह मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाने उपरांत भी, अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी सूचना/प्रतिउत्तर अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गया। अत: बैंक चार्जिज के रूप में चयनित माह में काटी गई राशि **₹1121** के साथ-साथ संस्था स्तर पर जांच करने उपरांत यदि इस प्रकार की काटी गई कोई राशि पाई जाती है, तो उसकी वसूली बैंक खातों में वापिस करने हेतु मामला बैंक प्रबंधन से उठाया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 निवेश

संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से दिनांक 31-3-24 तक कुल ₹83103009.00 की राशि सावधि जमा योजना में निवेशित की गई है, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है।

(i) सावधि जमा की परिपक्वता पर अर्जित ब्याज से बैंक द्वारा स्रोत पर आय कर के रूप में (TDS) काटी गई राशि ₹1.70 लाख बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि राजकीय बहुतकनीकी संस्थान द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना में निवेशित राशि की परिपक्वता पर अर्जित ब्याज से इन बैंक द्वारा स्रोत पर निम्न विवरणानुसार ₹**170422.00** आय कर की कटौती (TDS) की गई है, जबकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23C)(vi) के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान को इस कर से छूट दी गई है, बैंक द्वारा TDS के रूप में काटी गई राशि ₹**170422.00** का विवरण निम्नप्रकार से है:-

Sr. No.	Name of Bank	FDR Nos.	Date of Investment	Date of Maturity	Period	Amount invested	Rate of Interest	Maturity value	Interest	TDS (₹)	Actual Maturity Value
1	VIJYA BANK	49	01.01..2020	01.01.2021	1 year	5712718	6.25%	6022498	309780	55721	6078219
2	VIJYA BANK	7711XXXX5	12.10.2019	12.10.2020	1 year	3687040	6.45%	3904437	217397	26231	3930668
3	CBI	3492097088	01.10.2020	01.10.2021	1 year	7081549	4.90%	7417086	335537	17887	7434973
4	VIJYA BANK	49	01.01.2021	02.01.2022	1 year	6022498	5.00%	6314547	292049	15056	6329603
5	VIJYA BANK	7711XXXX5	12.10.2020	12.10.2021	1 year	3904437	4.90%	4080714	176277	18104	4098818
6	CBI	3492097088	01.10.2021	01.10.2022	1 year	7417086	4.90%	7749833	332747	37423	7787256
Total TDS Deducted										**170422**	

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 218 दिनांक 5/12/24 द्वारा यह मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यानार्थ लाया गया था तथा उनसे इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति से अवगत करने का आग्रह किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में बहुतकनीकी संस्थान द्वारा पत्र संख्या जी. पी के/ऑडिट पैरा छा.क/2024-7454 दिनांक 9/12/2024 के अंतर्गत सूचित किया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा अर्जित ब्याज से स्त्रोत पर काटे गए आयकर को वापिस बैंक में जमा कर दिया गया है, परन्तु विजय बैंक से इस सन्दर्भ में पत्राचार किया जा रहा है,बैंक से आयकर वापिस होते ही इस सम्बन्ध में अंकेक्षण को अवगत करवा लिया जायेगा | अंकेक्षण द्वारा समय के अभाव में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा स्त्रोत पर काटे गए आयकर को वापिस बैंक में जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी,अत: सम्पूर्ण TDS की राशि ₹**170422/-** प्राप्त करने उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) राजकीय बहुतकनीकी संस्थान द्वारा सावधि जमा की परिपक्वता पर अर्जित ब्याज राशि ₹183.02 लाख को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करने बारे :-

सावधि ज़मा में निवेशित राशियों के अंकेक्षण में पाया गया कि संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-24 के दौरान सावधि जमा की परिपक्कता पर प्राप्त अर्जित ब्याज की राशि ₹18302350/- को रोकड़ बही में इंद्राज नहीं किया गया, यद्यपि उक्त राशि को सावधि जमा में परिपक्वता के समय जोड़ा गया है जबकि नियमानुसार ब्याज को रोकड़ बही में दर्ज किया जाना अपेक्षित था।

ब्याज के रूप में प्राप्त की गई राशि का विवरण इस प्रकार से है :-

Sr. No.	Financial Year	Amount (FDR'S Interest) (₹)
1	2020-21	5505606
2	2021-22	4434635

3	2022-23	4277409
4	2023-24	4084700
Total		**18302350/-**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 218 दिनांक 5/12/24 द्वारा यह मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यानार्थ लाया गया था, तथा उनसे इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति से अवगत करने का आग्रह किया गया था ,जिसके प्रतिउत्तर में बहुतकनीकी संस्थान द्वारा पत्र संख्या जी. पी के/ऑडिट पैरा छा.क/2024-7455 दिनांक 9/12/2024 के अंतर्गत सूचित किया गया कि छात्र कल्याण निधि की सावधि जमा की परिपवक्ता पर अर्जित ब्याज राशि को अब रोकड़ बही में इन्द्राज कर लिया गया है। अंकेक्षण द्वारा समय के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी, अत: इसे आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा साथ ही भविष्य में नियमानुसार सावधि जमा की परिपवक्ता पर अर्जित ब्याज राशि को रोकड़ बही में लिया जाए |

आय :-

7. विलम्ब शुल्क के रूप में राशि ₹5296 की प्राप्ति न करने बारे :-

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान काँगड़ा के कार्यालय पत्र संख्या 334 दिनांक 29.09.2020 अनुसार 3RD और 5TH सेमेस्टर की फ़ीस बिना Late फ़ीस के दिनांक 09.10.2020 तक छात्रों द्वारा जमा की जानी अपेक्षित थी, तत्पश्चात दिनांक 12.10.2020 से 16.10.2020 (केवल कार्य दिवस) तक विलम्ब शुल्क 50 प्रति दिन के साथ फ़ीस जमा करवाई जानी थी | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा उपरोक्त कार्यालय पत्र के निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई, फलस्वरूप विलम्ब शुल्क के रूप में राशि ₹5296 की कम प्राप्त की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	छात्र/छात्रा का नाम	समेस्टर	श्रेणी	दिनांक	प्राप्त की गई फ़ीस (₹)	प्राप्त की जाने वाली फ़ीस (बिलम्ब शुल्क) के साथ (₹)	बिलम्ब शुल्क के रूप में कम प्राप्त की गई राशि (₹)
1.	विवेक धीमान	3rd	Instrument	12.10.2020	3976	4026	50
2.	सुधीर शर्मा	3rd	C.E	12.10.2020	3976	4026	50
3.	रजत कुमार	3rd	E.E	12.10.2020	3976	4026	50
4.	नैंसी	5th	C.E	12.10.2020	2476	2526	50
5.	ललित वर्मा	5th	M.E	12.10.2020	3976	4026	50
6.	आयुष कुमार	5th	M.E	12.10.2020	3976	4026	50
7.	ऋतिक कांगो	5th	C.E	12.10.2020	3976	4026	50
8.	अशोक कुमार	5th	M.E	12.10.2020	3976	4026	50
9.	दिव्यांश शर्मा	3rd	C.E	12.10.2020	3976	4026	50
10.	विकर्म ठाकुर	3rd	E.E	12.10.2020	3976	4026	50
11.	अंकित डडबाल	5th	M.E	13.10.2020	3976	4076	100
12.	राहुल कुमार	5th	M.E	13.10.2020	3976	4076	100
13.	रितिका	5th	M.E	13.10.2020	2480	2576	96
14.	काजल राणा	5th	ELTX.	13.10.2020	2476	2576	100
15.	मुकेश	3rd	ELTX.	13.10.2020	3976	4076	100
16.	परमबीर	5th	C.E	13.10.2020	3976	4076	100

	ठाकुर						
17.	आरुही राठौर	3rd	C.E	14.10.2020	2476	2626	150
18.	सिंपल	5th	ELTX.	14.10.2020	3976	4126	150
19.	आयुष चोधरी	3rd	E.E	14.10.2020	3976	4126	150
20.	स्वयंम ठाकुर	3rd	M.E	14.10.2020	3976	4126	150
21.	अर्पित शर्मा	5th	C.E	14.10.2020	3976	4126	150
22.	शुभम	5th	INSTRUM ENT	14.10.2020	4026	4126	150
23.	स्वाति	3rd	ELTX.	14.10.2020	2526	2626	100
24.	आशीष ठाकुर	5th	C.E	14.10.2020	3976	4126	150
25.	कार्तिक महाजन	3rd	ELTX.	15.10.2020	3976	4176	200
26.	नितिन	3rd	INST.	15.10.2020	3976	4176	200
27.	अभिषेक राणा	3rd	INST.	15.10.2020	3976	4176	200
28.	मनोज कुमार	5th	E.E	15.10.2020	3976	4176	200
29.	मुकेश कुमार	5th	INST.	15.10.2020	3976	4176	200
30.	ईशा पठानिया	3rd	INST.	15.10.2020	2476	2676	200
31.	अमित कुमार	3rd	M.E	15.10.2020	3976	4176	200
32.	अंकित कुमार	3rd	M.E	15.10.2020	3976	4176	200
33.	कृष्णा कुमार	3rd	C.E	15.10.2020	3976	4176	200
34.	प्रियांशु	5th	E.E	15.10.2020	3976	4176	200

35.	नवनीत	3rd	INST.	16.10.2020	3976	4226	250
36.	नीरज	5th	ELTX.	16.10.2020	3976	4226	250
37.	अमित	5th	ELTX.	16.10.2020	4176	4226	50
38.	श्रेया शर्मा	3rd	INST.	16.10.2020	4176	4226	50
39.	हर्षित शर्मा	3rd	INST.	16.10.2020	4176	4226	50
40.	अक्षित	3rd	M.E	16.10.2020	4176	4226	50
41.	दीक्षा देवी	3rd	M.E	16.10.2020	2476	2726	250
42.	अभिषेक धीमान	5th	M.E	16.10.2020	4126	4226	100
कुल योग							**5296/-**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए समस्त राशि की वसूली अविलम्ब उचित स्त्रोत से करते हुए छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. पुनःप्रवेश शुल्क व विलम्ब शुल्क के रूप में राशि ₹0.12 लाख की प्राप्ति न करने बारे :-

संस्थान के कार्यालय पत्र संख्या 334 दिनांक 29.09.2020 अनुसार 3RD और 5TH सेमेस्टर की फ़ीस बिना लेट फ़ीस के दिनांक 09.10.2020 तक छात्रों द्वारा जमा की जानी अपेक्षित थी, तत्पश्चात दिनांक 12.10.2020 से 16.10.2020 (केवल कार्य दिवस) तक विलम्ब शुल्क ₹50 प्रति दिन के साथ फ़ीस जमा करवाई जानी थी और इसके बाद छात्र/छात्रा का नाम संस्थान से काट दिया जाना था | ऐसी स्थिति में यदि प्रधानाचार्य छात्रों द्वारा प्रस्तुत कारणों से पूर्णतय संतुष्ट होतें है, तो उपरोक्त Late Fees के अतिरिक्त ₹1000/- पुनःप्रवेश शुल्क के साथ प्रवेश दे सकते हैं, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त निर्देशानुसार समय अवधि व्यतीत होने पर भी निम्नलिखित छात्र /छात्राएं से पुनः प्रवेश शुल्क व Late Fee Fine नहीं लिया गया था और जिसका विवरण निम्न प्रकार

से है :-

क्रम संख्या	छात्र/छात्रा का नाम	समेस्टर / श्रेणी	समेस्टर फ़ीस (₹)	प्राप्त की गई फ़ीस की दिनांक	प्राप्त की गई फ़ीस (₹)	प्राप्त की जाने योग्य फ़ीस (₹)	पुन:प्रवेश शुल्क व Late Fee Fine के रूप में कम वसूली (₹)
1.	सौरभ	3rd /Electrical	3976	17.10.2020	4226	5226	1000
2.	वरुण सैनी	5th /C.E	3976	18.10.2020	3976	5226	1250
3.	निखिल	3rd/ C.E	3976	18.10.2020	3976	5226	1250
4.	अंकित कौशल	3rd /C.E	3976	19.10.2020	3976	5226	1250
5.	प्रान्शुल	5th / INST.	3976	19.10.2020	3976	5226	1250
6.	दीपक चौधरी	5th /INST.	3976	20.10.2020	3976	5226	1250
7.	अतुल कुमार	3rd/ELTX.	3976	20.10.2020	3976	5226	1250
8.	आकाश	5th /INST.	3976	22.10.2020	3976	5226	1250
9.	नीरज कौंडल	5th /INST.	3976	26.10.2020	3976	5226	1250
10.	गुरविंदर	5th /INST.	3976	27.10.2020	3976	5226	1250
कुल योग							**12250/-**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर यह मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए समस्त राशि की वसूली अविलम्ब उचित स्त्रोत से करते हुए छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9(i) निधियों को विलम्ब से जमा करना :-

हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम 3(1) के अनुसार प्राप्त राशि को उसी दिन या उससे अगले दिन बैंक/ राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित प्राप्त निधियों को विलम्ब से जमा किया गया जबकि नियमानुसार सरकारी राशियों को अगले कार्य दिवस पर बैंक में जमा करना अपेक्षित है :-

प्रवेश शुल्क और टयूशन फ़ीस को वसूली करने की तिथि	प्राप्त राशि(₹)	जमा करने की तिथि
30.10.2020	489000	16.11.2020
15.12.2020	431750	24.05.2022
14.03.2022	759000	30.03.2022
13.09.2022	463500	22.09.2022
22.10.2022	353000	15.11.2022
22.10.2022	16500	15.02.2023
29.08.2023	407000	07.10.2023
14.09.2023	485500	10.10.2023
29.08.2023	11000	05.02.2024

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर

प्रस्तुत नहीं किया गया | इस प्रकार विलम्ब से निधियों को जमा करने से सरकारी राशि के दुरूपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता है अत: परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाये व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी को दोबारा न दोहराया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9(ii) प्रवेश शुल्क और टयूशन फ़ीस के रूप में प्राप्त की गई राशि को राजकीय कोष में ₹0.13 लाख से कम जमा करवाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रथम समेस्टर के छात्रों से प्रवेश शुल्क और टयूशन फ़ीस के रूप में राशि ₹444750 की प्राप्ति की गई थी, परन्तु राजकीय कोष में केवल ₹431750/- ही जमा करवाए गये थे, इस प्रकार राशि ₹13000/- राजकीय कोष में कम जमा करवाई गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिस हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए उक्त कम राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

शैक्षणिक सत्र	Smester	कुल विद्यार्थी	प्रवेश शुल्क (₹)	टयूशन फ़ीस (₹)	कुल प्राप्त की गई फ़ीस (₹)	राजकीय कोष में जमा की गई फ़ीस (₹)	चालान संख्या /दिनांक	कम जमा की गई राशि (₹)
2020-21	1st	315	78750	366000	444750	431750	B22E127760 24.05.2022	13000/-
				कुल योग				**13000/-**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उपरोक्त अनियमितता बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कम जमा करवाई गई राशि को अविलम्ब सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

10(i) छात्रावास छोड़ने के एक वर्ष पश्चात Hostel Security वापिस करने के कारण राशि ₹0.09 लाख की हानि होना :-

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जारी किये गये प्रोस्पेक्टस की शर्त/नियम 14.9 के अनुसार विद्यार्थियों को छात्रावास छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर – अन्दर अपनी Security वापिस लेनी होगी अन्यथा इसे जब्त कर लिया जायेगा तथा उक्त राशि को विद्यार्थी निधि शुल्क के अंतर्गत जमा कर दिया जायेगा | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्त/नियम की अनुपालना नहीं की गई थी व निम्न विवरणानुसार विभिन्न विद्यार्थियों को छात्रावास छोड़ने के एक वर्ष पश्चात भी Hostel Security का भुगतान किया गया है, जोकि अनियमित/अनुचित है |

क्रम संख्या	शैक्षणिक सत्र	विद्यार्थी का नाम	छात्रावास छोड़ने की तिथि	Security वापिस करने की तिथि	Security जो वापिस की गई है (₹)	टिप्पणी
1	2021-22	अक्षित शर्मा	14.07.2021	25.07.2022	1500	नियमानुसार Security राशि को जब्त किया जाना था
2	2021-22	अक्षत मेहरा	14.07.2021	25.07.2022	1500	
3	2021-22	साहिल जसवाल	14.07.2021	25.07.2022	1500	
4	2021-22	दीवांश पठानिया	03.2022	09.08.2024	1500	
5	2021-22	अनिश	03.2022	09.08.2024	1500	
6	2021-22	प्रिंश संधू	03.2022	29.08.2024	1500	
कुल योग					**9000/-**	

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: छात्रवास छोड़ने के एक वर्ष पश्चात भी Hostel Security वापिस करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अनियमित रूप से दी गई इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

10(ii) दूसरे संस्थानों से बहुतकनीकी संस्थान काँगड़ा में स्थानांतरित हुए विद्यार्थियों की Institutional और Library Security की मांग/प्राप्ति न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि राजकीय बहुतकनीकी संस्थान काँगड़ा में दूसरे संस्थानों से स्थानांतरित हुए विद्यार्थियों की Institutional और Library Security की मांग/प्राप्ति संस्थान द्वारा नहीं की गई है, जिसे नियमानुसार प्राप्त किया जाना आपेक्षित था परिणामस्वरूप राशि ₹7500 की कम प्राप्ति हुई | कम प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	विद्यार्थी का नाम / Stream	Institutional और Library Security **राशि (₹)**	संस्थान जहाँ से **स्थानांतरित हुए**
1	पंकज कुमार/M.E	1500	अभिलेख में अंकित नहीं किया गया था
2	प्रद्युमन धनोटिया/M.E	1500	बहुतकनीकी संस्थान बिलासपुर
3	दीपांश जसरोटिया/M.E	1500	बहुतकनीकी संस्थान बिलासपुर
4	अखिल	1500	अभिलेख में अंकित

	कुमार/Electrical		नहीं किया गया था
5	सौरभ चौधरी/Electronic	1500	अभिलेख में अंकित नहीं किया गया था
कुल योग		**₹7500/-**	

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: Institutional और Library Security के रूप में कम प्राप्त की गई राशि 7500/- की वसूली सम्बन्धित संस्थान से यथा शीघ्र करते हुए, छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

11(i) Sports & Cultural Fund की राशि ₹450/- की प्राप्ति न करना :-

सचिव शिक्षा तकनीकी के पत्र संख्या EDN(TE)F)72(/2021 दिनांक 01.07.2023 अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रत्येक छात्र/छात्रा से Sports & Cultural Fund के रूप में राशि 150/- प्रति समेस्टर प्राप्त किये जाने अपेक्षित है परन्तु संस्थान द्वारा निम्न वर्णित छात्रों से यह राशि प्राप्त नहीं की गई :-

क्रम संख्या	विद्यार्थी का नाम/श्रेणी	समेस्टर	राशि (₹)
1	अक्षित धीमान/Inst.	1st	150
2	सचिन कुमार/C.E	1st	150
3	आदित्या/Inst.	1st	150
कुल योग			**450/-**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: राशि ₹450/- की वसूली यथा शीघ्र सुनिश्चित करते हुए, छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

11(ii) जुर्माने के रूप में राशि ₹1630 की वसूली न करना :-

शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु जारी किये गये प्रोस्पेक्टस के सामान्य नियम एवं विनियम के नियम, 17.22.1 के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी बिना आज्ञा अनुपस्थित रहता है ,तो उस विद्यार्थी से 5/- रूपये प्रति पीरियड की दर से जुर्माना वसूल किया जायेगा, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित विद्यार्थियों से जुर्माने के रूप में राशि ₹1630/- की वसूली नहीं की गई :-

क्रम संख्या	विद्यार्थी का नाम	श्रेणी	समेस्टर	जुर्माने की राशि (₹)
1	दिक्षु ठाकुर	C.E	6th	165
2	कोमल शर्मा	C.E	6th	190
3	अंकित कुमार	E.C.E	6th	140
4	शाहिल शर्मा	M.E	6th	230
5	अंकिता देवी	C.E	4th	110
6	मुनीश कुमार	M.E	4th	85
7	विशाल भरद्वाज	E.C.E	4th	145
8	शाहिल धीमान	M.E	1st	115
9	नवीन कुमार	E.C.E	1st	70
10	आँचल	C.E	1st	215
11	रोहित	Elt.E	1st	165
कुल योग				**1630/-**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः जुर्माने के रूप में कम प्राप्त राशि ₹1630/- की वसूली यथा शीघ्र सुनिश्चित करते हुए, छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जाए तथा इस प्रकार के प्रकरणों बारे अपने स्तर पर जांच की जाए और यदि इस प्रकार की राशि वसूली हेतु लंबित पाई जाती है तो सम्पूर्ण राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुए,की गई करवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विविध व्यय:-

12.अनियमित रूप से ₹2.86 लाख का व्यय करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा सचिव, तकनीकी शिक्षा की अधिसूचना संख्या :EDN(TE)A(3)-2/2004 दिनांक 23-04-12 व 17-09-17 के विपरीत जाकर निम्न वर्णित राशि छात्र कल्याण निधि से भुगतान की गई है, जो उक्त निधि पर वैद्य प्रभार नही है |

क्रम संख्या	वाउचर संख्या /दिनांक	फर्म का नाम /विभाग का नाम	राशि (₹)	विवरण
1	शून्य//22.07.2020	Account officer BSNL	7434	टेलीफोन बिल
2	शून्य/15.07.2021	Account officer BSNL	390	टेलीफोन बिल
3	शून्य/15.07.2021	Skylight Manpower	43721	Sanitation work
4	शून्य/15.07.2021	Skylight Manpower	43721	Sanitation work
5	85/16.03.2023	Account officer BSNL	389	टेलीफोन बिल
6	88/28.03.2023	HP State Electronic Devolpment corporation	60493	Sanitation work

7	40/06.10.2023	HP State Electronic Devolpment corporation	64820	Sanitation work
8	42/16.10.2023	Account officer BSNL	388	टेलीफोन बिल
9	47/30.10.2023	HP State Electronic Devolpment corporation	64820	Sanitation work
कुल योग			286176/-	

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उपरोक्त अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनियमित व्यय की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाए।

13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹22.71 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/20 से 03/24 के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि संस्थान द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न विभागों के पास डिपाजिट वर्क के रूप में राशियाँ जमा करवाई गई थी, जिसमें से निम्न वर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया | विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	विभाग जिसे राशि प्रेषित की गई है	राशि (₹)
1.	43/20.10.2023	Repair work of Computer Lab	HPPWD	2271225

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी यह मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया | अत: आवश्यक करवाई करते हुए उपरोक्त वर्णित कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14(i) संस्थान द्वारा कर्मचारियों/अध्यापकों को विभिन्न कार्य हेतु दी गई अग्रिम राशि ₹25,000 के समायोजन बारे :-

अंकेक्षण अवधि 04/20 से 03/24 के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा चयनित माह में विभिन्न आवश्यक कार्यों हेतु कर्मचारियों/अध्यापकों को अग्रिम राशि प्रदान की गई, परन्तु इन राशियों के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे इन राशियों के समायोजन की पुष्टि अंकेक्षण दौरान नहीं की जा सकी उक्त राशि की वसूली नियमानुसार देय ब्याज के साथ सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भुगतान की गई अग्रिम राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	कर्मचारी का नाम	दी गई अग्रिम राशि (₹)
1	27/29.07.2020	श्री निर्मल सिंह	1500
2	शून्य/07.07.2021	श्री राजेश कुमार	2000
3	शून्य/09.07.2021	श्री अनिल कुमार	1500
4	शून्य/19.07.2021	श्री प्रभात सिंह	20000
कुल योग			**25000/-**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 के अंतर्गत यह मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया |अत: इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए

इन अग्रिम राशियों से सम्बंधित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए ताकि इनके समायोजन की पुष्टि हो सके ।

14. (ii) अग्रिम का अनियमित/अनुचित रूप से रख-रखाव करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अग्रिम राशि के भुगतान पर उसकी प्रविष्टि रोकड़ बही व अग्रिम रजिस्टर में दर्शा दी गई है व समायोजन करने पर उस पूर्ण अग्रिम राशि को रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष की और दर्शाया जा रहा है तथा व्यय बिलों को व्यय पक्ष की और अंकित किया जा रहा है है जो नियमानुसार अग्रिम राशि के समायोजन व लेखाकन की उचित प्रक्रिया नही है । इसके अतिरिक्त समायोजन का किसी भी प्रकार का ब्यौरा अग्रिम रजिस्टर में नही दर्शाया गया है जो की अनियमित है। अत: अग्रिम के विरुद्ध समायोजन करते समय नियमानुसार व्यय को रोकड़ बही के व्यय भाग में दर्शाकर यदि बकाया राशि सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के पास शेष रहती व जमा की जाती है तो रोकड़ बही में उस राशि की रसीद संख्या सहित प्रविष्टि आय पक्ष में की जाए यदि व्यय अग्रिम राशि से अधिक होता है तो उसकी अधिक व्यय राशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को करते हुए शेष व्यय की प्रविष्टि रोकड़ बही के व्यय पक्ष में करते हुए अग्रिम के समायोजन का पूर्ण उल्लेख अग्रिम रजिस्टर में भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना हेतु की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. बिजली बिलों के भुगतान में मांग की गई गत बकाया राशि (Previous Arrears) ₹1.39 लाख के सन्दर्भ में :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि राजकीय बहुतकनीकी संस्थान द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा गत बकाया राशि **(Previous Arrears)** की माँग के साथ किया गया है, जिसे बिना किसी पड़ताल के भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या /दिनांक	मीटर संख्या	कुल भुगतान (₹)	मांग की गई गत बकाया राशि (₹)
1	37/25.08.2020	100009001359	58090	24586
2	09/12.05.2020	100009001359	63627	58175
3	09/12.05.2020	100008000934	78924	38250
4	09/12.05.2020	1000080000926	30762	18567
कुल योग				**139578/-**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: ये राशि किन कारणों से लंबित है व इसकी मांग किस आधार पर की गई है की पड़ताल करने उपरांत यदि कोई गलती संस्थान स्तर पर पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर की गई करवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा बकाया राशि बारे मामला बिजली विभाग से उठाया जाए ,क्योंकि संस्थान द्वारा प्रत्येक माह नियमित रूप से बिजली के बिलों का भुगतान किया जा रहा है व की गई करवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

16. औपचारिक्ताओं को पूर्ण किये बिना राशि ₹0.21 लाख की उत्तर पुस्तिकाओं का क्रय करना :-

अंकेक्षण के वाउचर संख्या 89 दिनांक 29.03.2023 की पड़ताल में पाया गया कि संस्थान द्वारा 16 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिकाओं तथा ड्राइंग शीट्स के मुद्रण हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गई जिसमे इम्पीरयल प्रिंटिंग प्रेस धर्मशाला द्वारा न्यनूतम दरें अंकित की गई व उन्हें यह कार्य पत्र संख्या 1806 दिनांक 16.03.2023 द्वारा आबंटित किया गया परन्तु बिल संख्या 3181 दिनांक 21.03.2023 की पड़ताल में पाया गया कि उक्त फर्म से 16 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिकाओं और ड्राइंग शीट्स के अतिरिक्त 08 पृष्ठ वाली

उत्तर पुस्तकाएं भी छपाई गयी परन्तु इस के लिए संस्थान द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त ही नहीं की गई थी |

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर यह मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना 08 पृष्ठ वाली (8000 @2.65) राशि 21200/- की उत्तर पुस्तकाएं को छपवाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस प्रकरण की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में इस तरह की त्रुटी को न दोहराया जाये |

17. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना राशि ₹32802/-का स्टोर/स्टॉक का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 97 के अनुसार, प्रत्येक सामग्री की खरीद पर जिसका मूल्य ₹3000 से अधिक है उसके लिए निविदाएँ आमंत्रित करना अनिवार्य है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 10/2023 के भुगतान वाउचर संख्या 45 व 46 दिनांक 27.10.2023 की पड़ताल में पाया गया कि संस्थान द्वारा उक्त नियम की अवेहलना करते हुए औप्चारिक्ताओं को पूर्ण किये बिना निम्न वर्णित स्टोर/स्टॉक का क्रय किया गया है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या /दिनांक	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	भुगतान की गई राशि (₹)
1	45/27.10.2023	M/S SDRD Solution pvt. Ltd.	Magzine का क्रय	11802
2	46/27.10.2023	M/S Research India Publication	Journal का क्रय	21000
कुल योग				**32802/-**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24द्वारा इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस प्रकरण की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवया जाये।

18. सफाई के कार्य से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण अवधि के दौरान चयनित माह के भुगतान वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि संस्थान द्वारा मैसर्ज Skylight Manpower व मैसर्ज HP State Electronic Devolpment corporation को क्रमश वर्ष 2020-21, 2021-2022 में सफाई के कार्य हेतु राशि ₹277575/- का भुगतान किया गया , परन्तु इस कार्य से सम्बंधित अभिलेख जैसे आमंत्रित निविदाएँ अवार्ड पत्र, अनुबंध, दिशा-निर्देश इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में भुगतान की गई दरों की पुष्टि नहीं की जा सकी | विवरण निम्न विवरण से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि (₹)
1	शून्य/15.07.2021	Skylight Manpower	43721
2	शून्य/15.07.2021	Skylight Manpower	43721
3	88/28.03.2023	HP State Electronic Devolpment corporation	60493
4	40/06.10.2023	HP State Electronic Devolpment corporation	64820
5	47/30.10.2023	HP State Electronic Devolpment corporation	64820
कुल योग			277575/-

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 जारी कर इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व आगामी अंकेक्षण में उक्त अभिलेख की सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

19. पुराने समाचार पत्रों की रद्दी की बिक्री न करने बारे :-

अभिलेख की पड़ताल में यह पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा पुस्तकालय प्रयोग हेतु छात्र कल्याण निधि से समाचार पत्रों का क्रय किया जा रहा है, परन्तु क्रय किये जा रहे इन समाचार पत्रों की रद्दी के रूप में बिक्री सम्बन्धित प्रभारी द्वारा दिनांक 08/2022 से नहीं की गई है।

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 217 दिनांक 5/12/24 के अंतर्गत यह मामला प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान के ध्यान में लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: परामर्श दिया जाता है कि संस्थान स्तर पर आन्तरिक पड़ताल उपरान्त रद्दी की बिक्री करना सुनिश्चित करके इससे प्राप्त राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया जाये व की गई कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

20. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना :-

अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान के छात्र कल्याण निधि खाते में से क्रय किये गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना अंकेक्षण अवधि के दौरान नहीं करवाया गया जबकि हिमांचल प्रदेश वित नियम की धारा 140 के अन्तर्गत स्टॉक में पडे सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना करवाया जाना अपेक्षित था। अत: नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 220 दिनांक 9/12/24 के माध्यम से प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान से आग्रह किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में बहुतकनीकी संस्थान द्वारा कोई भी सूचना अंकेक्षण

को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अत: भविष्य में भंडार का वार्षिक आधार पर भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21. **लघु- आपत्ति विवरणिका** :-लघु आपत्तियों का मौके पर निपटारा कर दिया गया है, यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

22. **निष्कर्ष:-** लेखाओं के रख-रखाव में सुधार एवं निरीक्षण की आवश्यकता है।

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

18 MAR 2025 का०/प्रति

–1679–1681

पृष्ठांकन संख्या:– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(xi) (ii) 254/75 खण्ड–6 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला–04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत 3 प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

का०/प्रति

परिशिष्ट "क"

Financial Position Of Polytechnic Kangra for the Year 2020-21

Financial Year	Opening Balance	Income	Interest	FDR'S Interest	Total Income	Expenditure	Closing Balance
2020-21	81151839.30	5376555.00	222624.00	5505606.00	92256624.30	8734477.00	83522147.30
Total	**81151839.30**	**5376555.00**	**222624.00**	**5505606.00**	**92256624.30**	**8734477.00**	**83522147.30**

Bank detail

Bank name	Account Number	Balance as on 31.03.2021
PNB	12342011002594	3081463.8
SBI	65075086353	1407270.5
Bank balance as on 31.03.2021		4488734.3
FDR		78992826
Cash in Hand		40567
Total Balance as on 31.03.2021		**83522127.3**

Principal
Govt. Polytechnic
Kangra, Distt. Kangra HP

Deputy Controller
H.P. State Audit Departme.
Shimla-09

J.A

संलग्नी - पैरा "4" (वित्तीय स्थिति)   परिशिष्ट "क"

Financial Position Of Polytechnic Kangra for the Year 2021-22									
Financial Year	Opening Balance	Income	FDR's Encash(Premature)	Interest	FDR'S Interest	Total Income	Expenditure	FDR's Encash(Premature)	Closing Balance
2021-22	83522147.3	10651421.00	2963125.00	62910.00	4434635.00	101634238.30	14581935.90	2963125.00	84089177.40
Total	**83522147.30**	**10651421.00**	**2963125.00**	**62910.00**	**4434635.00**	**101634238.30**	**14581935.90**	**2963125.00**	**84089177.40**

Bank detail		
Bank name	Account Number	Balance as on 31.03.2022
PNB	12342011002594	490147.8
SBI	65075086353	3135223.6
Bank balance as on 31.03.2022		3625371.4
FDR		80464356
Cash in Hand		0
Total Balance as on 31.03.2021		**84089727.4**

Principal,
Govt. Polytechnic
Kangra, Distt. Kangra HP

Deputy Controller
H.P. State Audit Departme
Shimla-09

J.A

Financial Position Of Polytechnic Kangra for the Year 2022-23							
Financial Year	Opening Balance	Income	Interest	FDR'S Interest	Total Income	Expenditure	Closing Balance
2022-23	84089177.40	7817626.00	96110.00	4277409.00	96280322.40	8282510.50	87997811.90
Total	**84089177.40**	**7817626.00**	**96110.00**	**4277409.00**	**96280322.40**	**8282510.50**	**87997811.90**

Bank detail		
Bank name	**Account Number**	**Balance as on 31.03.2023**
PNB	12342011002594	503537.8
SBI	65075086353	2844640.1
Bank balance as on 31.03.2023		3348177.9
FDR		84742142
Cash in Hand		0
Total Balance as on 31.03.2021		**88090319.9**

Principal,
Govt. Polytechnic
Kangra, Distt. Kangra HP

Deputy Controller
H.P. State Audit Department
Shimla-09

संलग्नक नं० "4" (वित्तीय स्थिति)   परिशिष्ट "क"

Financial Position Of Polytechnic Kangra for the Year 2023-24										
Financial Year	**Opening Balance**	**Income**	**FDR's Encash(Premature)**	**Interest**	**FDR'S Interest**	**Total Income**	**Expenditure**	**FDR's Encash(Premature)**	**Closing Balance**
2023-24	87997811.90	8533371.00	5723456.00	100276.00	4084700.00	106439614.90	12135644.50	**5723456.00**	**88580514.40**
Total	87997811.90	8533371.00	5723456.00	100276.00	4084700.00	106439614.90	12135644.50	5723456.00	88580514.40

Bank detail		
Bank name	Account Number	Balance as on 31.03.2024
PNB	12342011002594	433998.8
SBI	65075086353	5039997.6
SBI	65201885049 (current A/C)	3509
Bank balance as on 31.03.2022		**5477505.4**
FDR		83103009
Cash in Hand		0
Total Balance as on 31.03.2021		**88580514.4**

Principal,
Govt. Polytechnic
Kangra, Distt. Kangra HP

Deputy Controller
H.P. State Audit Department
Shimla-09

Standing FDRs Statement in R/o Polytechnic Kangra as on 31.03.2024

Sr. No	Name of Bank	FDR No.	Date of Investment	Date of Maturity	Period	Amount Invested	Rate of Interest	Maturity Value	Amount of Interest
1	OBC	12343601000365	23-03-23	23-06-25	27M	3,045,257	7.00%	3,559,867	Renewed
2	OBC	12343031015670	02-04-23	02-04-24	12M	5,159,351	6.80%	5,519,235	
3	OBC	12343031012013	15-11-22	15-08-24	21M	5,585,636	6.30%	6,231,326	
4	OBC	123430310003691	16-10-21	16-10-24	36M	2,497,047	5.10%	2,907,058	
5	OBC	12343031003707	16-10-21	16-10-24	36M	2,497,047	5.10%	2,907,058	
6	OBC	12343031027116	01-10-23	01-10-24	12M	8,292,928	6.75%	8,867,030	
7	KCCB	1490018	03-01-24	02-01-25	12M	6,650,308	6.80%	7,113,866	
8	SBI	65264399077	02-07-23	02-07-24	12M	7,688,571	6.80%	8,224,878	
9	SBI	65242754175	02-07-23	02-07-24	12M	12,449,868	6.80%	13,318,293	
10	SBI	65242373371	02-07-23	02-07-24	12M	565,226	6.80%	604,653	
11	CBI	3492097088	01-10-23	01-10-24	12M	8,175,052	6.75%	8,740,994	
12	SBI	65264399102	02-07-23	02-07-24	12M	8,873,862	6.80%	9,492,847	
13	Vijaya Bank	77110331100005	12-10-23	12-10-24	12M	4,524,918	6.75%	4,838,169	
14	Vijaya Bank	771103311000049	04-01-24	04-01-25	12M	7,097,938	6.85%	7,596,779	
						83,103,009		89,922,053	

Deputy Controller
H.P. State Audit Department
Shimla-09

Principal,
Govt. Polytechnic
Kangra, Distt. Kangra HP

J.A